राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ7(4)अकाद / आकाशि / विधानसभा / 17 / 01 दिनांक : 15/1/2019

प्राचार्य

समस्त राजकीय महाविद्यालय

राजस्थान

विषय :– राजस्थान विधानसभा प्रश्न संख्या 22 / उच्च शिक्षा / अतारांकित / श्री निर्मल कुमावत (80)माननीय विधानसभा सदस्य के प्रत्युत्तर बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विधानसभा प्रश्न संख्या 22 / उच्च शिक्षा / अतारांकित / श्री निर्मल कुमावत (80)माननीय विधानसभा सदस्य द्वारा विधानसभा में पूछे गये प्रश्न को संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इस प्रश्न का प्रत्युत्तर दिनांक 17.01.2019 तक ईमेल– jdacad1960@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

15-1.19

संयुक्त निदेशक, अकादमिक
कालेज शिक्षा
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि – वेब प्रभारी, आकाशि, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

राजस्थान विधान सभा सदन 15 सत्र प्रथम

प्रश्न संख्या 22 उच्च शिक्षा/अतारांकित श्री निर्मल कुमावत (80) मा0 विधानसभा सदस्य

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में पूर्व में अथवा वर्तमान में आशुलिपि/शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स चलाये जा रहे है अथवा चलाये जा रहे है ? सूची सदन की मेज पर रखे।	
2. क्या यह सही है कि उक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में ? विवरण सदन की मेज पर रखे।	
3. क्या यह भी सही है कि प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर स्टेनोग्राफर/शीघ्रलिपिक की भर्ती में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य किये हुए हैं जिसके कारण से प्रदेश में उक्त कोर्स संचालित नहीं होने से प्रदेश के शीघ्रलिपि के अभ्यर्थी पात्रता नहीं रखते हैं और उन्हें उक्त भर्तियों से वंचित होना पड़ता है ?	
4. क्या सरकार उक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखे।	